

अधीक्षा - ५२२८/२०१४/मीठी/केवा

1

५०७

२३३

अपर
न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा (म0प्र०)



१. महेन्द्र सिंह तनय श्री स्व० मोहर सिंह निवासी ग्राम कारी माटी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र०
२. शैलेन्द्र सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम कारी माटी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र०
३. जीतेन्द्र सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह
४. वीरबहादुर सिंह तनय श्री मनोहर सिंह
५. लाल बहादुर सिंह तनय श्री मनोहर सिंह
६. विजय बहादुर सिंह तनय श्री मनोहर सिंह
७. भूपेन्द्र सिंह तनय इन्द्र बहादुर सिंह
८. ज्ञानेन्द्र सिंह तनय इन्द्र बहादुर सिंह
९. पुष्पेन्द्र सिंह तनय इन्द्र बहादुर सिंह
१०. श्रीमती सीता सिंह पत्नी श्री लाल बहादुर सिंह
११. जीवेन्द्र सिंह पिता लाल बहादुर सिंह
१२. श्रीमती रामकली सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह

सभी निवासी ग्राम कारी माटी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी

म0प्र०आवेदकगण

बनाम

१- उदयराज सिंह पिता श्री केशव सिंह निवासी ग्राम कारी माटी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र०

२- २०८८ नं. ८०८८ अप्र० कली लीची १८८८ अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक २२/अ-७४/२०११-१२ मे पारित आदेश दिनांक १३.०१.२०१६

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म0प्र० भूराओसं० १९५९ ई० ४४(२)

अपर न्यायालय
श्रीमान् आयुक्त महोदय
रीवा संभाग रीवा (म0प्र०)

283

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक अंकील 5228/भू-रा/2018 जिला—सौ. री.

महोड़ निवास पिल्ला उद्यगराम टेलर

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. अधिकारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अम्पर कलेक्टर, जिला... द्वारा के प्रकरण क्रमांक 22/3074/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 20/01/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	